न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–37/258/2015

उनवान

चुन्नीलाल पुत्र श्री सेडूराम जाति जाट, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं निवासी जिला जयपुर, राजस्थान।

बनाम

1. महेश पुत्र नारायण
2. कैलाशचन्द पुत्र नारायणलाल
3. प्रभुदयाल पुत्र नारायणलाल
4. प्रहलाद पुत्र नारायणलाल
5. गणपत दत्तक पुत्र गणेश
6. महादेव पुत्र झूंथाराम
7. गुटा पुत्र नानगा
   समस्त व्यस्क जाति बलाई, निवासी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. बालू पुत्र नाथू
9. लाला पुत्र नाथू
10. भैरुराम पुत्र मुरलीधर
11. रामू पुत्र भूरा
12. कज्या पुत्र पेमा
13. रोशनलाल पुत्र रुडा
14. कानाराम पुत्र नन्दा
15. मुकेश पुत्र नन्दा
16. हरसहाय दत्तक पुत्र रामनाथ
    समस्त व्यस्क जाति बलाई, निवासी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांक :–27.09.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम हाडौता, पटवार हल्का हाडौता, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0) में स्थित खाता संख्या नया 133 व खाता संख्या पुराना 123 के हाल खसरा नम्बर 1154/2 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1187 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1190 रकबा रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1191 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

12 का कुल रकबा 3.81 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात ही वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है। उक्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिस पर वादी बतौर खातेदार काबिज काश्त होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। भूमि विवादग्रस्त में प्राकृतिक व खुदरा पैदावार का फायदा उठाता चला आ रहा है उक्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिसके अनुसार विवादित भूमि पर वादी मौके पर बतौर मालिक स्वामी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है इसलिए वादी को विवादित भूमि के बाबत् उक्त वाद प्रस्तुत करने का पूर्ण विधिक हक व अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 16 भूमि विवादग्रस्त के पडौसी काश्तकार एवं पडौसी व्यक्ति है जिनकी भूमि वादी की भूमि खसरा नम्बर 1203, 1204, 1207, 1208 व 1191 के दक्षिणी दिशा में लगवा स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 का वादग्रस्त आराजीयात् से कोई किसी प्रकार का लेना–देना हक सम्बन्ध, सरोकार नहीं है व आये दिन वादग्रस्त भूमि की सींव डोल व तोड फोड करने पर आमादा रहते है तथा मना करने पर लडाई–झगडा करते रहते है। वादी विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है एवं वादग्रस्त भूमि में पेड पौधे लगे हुये है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 का कोई लेना–देना भूमि विवादग्रस्त से नहीं है वह मात्र भूमि विवादग्रस्त के पडौसी काश्तकार है जिसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से ही वह विवादग्रस्त आराजीयात की सींव डोल को तोडफोड कर भूमि विवादग्रस्त को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा रहते है जिसका की प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार हासिल नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 जो कि संख्या बल एवं बाहुबल में अधिक है जो आये दिन वादग्रस्त आराजीयात् की सींव डोल से छेडछाड करते रहते है। दिनांक 22.11.15 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 एकराय होकर भूमि विवादग्रस्त पर आये तथा भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल में तोड फोड करने लगे, जब वादी ने तोड फोड करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 16 ने कहा कि हम भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल को तोड कर भूमि विवादग्रस्त को को अपनी भूमि में मिला लेंगे तथा विधि विरुद्ध तरीके से निर्माण कार्य करके रहूंगा, जिस पर वादी ने कहा कि ये भूमि हमारी स्वयं की कब्ज काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 उग्र हो गये तथा ऐलानियां धमकी दी कि वह अतिशिघ्र भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल के पडौसी होने का नाजायज फायदा उठाते हुए भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल को तोड फोड कर भूमि को अपनी भूमि में मिला लेंगे तथा मौके पर विधि विरुद्ध तरीके से पुख्ता निर्माण कार्य कर भूमि को अपनी भूमि में मिला लेंगे तथा मौके पर मुख्ता निर्माण कार्य करके रहेंगे व पुख्ता निर्माण कर उक्त भूमि को भू–माफिया लोगों को बैचान करेंगे तथा वादी को उसके उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी कारित कर अपने पशुओं को भूमि विवादग्रस्त में जबरिया प्रवेश करवाकर वादी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दौसा (जयपुर)

Scanned by CamScanner

द्वारा बोई फसल को नष्ट–भ्रष्ट करवा देंगे इसलिए वादी को यह वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 16 जो कि भूमि विवादग्रस्त के सींव डोल पडौसी काश्तकार है जिनका की भूमि विवादग्रस्त से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 16 को कतई कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह वादी की भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल में तोड फोड करें, भूमि विवादग्रस्त में अपने जानवरों को जबरिया प्रवेश करवाये, भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल को तोड फोड कर अपनी भूमि में मिलावें, भूमि विवादग्रस्त में कोई निर्माण कार्य नहीं करें। वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्ध फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 16 वादी की भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने तक भूमि विवादग्रस्त के वादी के उपयोग उपभोग में, उपजों को प्राप्त करने में, कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल में कोई तोड फोड करें, ना ही मिट्टी उठावे, ना ही भूमि विवादग्रस्त में जबरिया कोई निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल व तारबन्दी को तोड फोड कर भूमि विवादग्रस्त को अपनी भूमि में मिलावे, ना ही भूमि विवादग्रस्त में जबरिया अपने जानवरों को प्रवेश करवाये, ना ही पशुओ को प्रवेश करवाकर वादी की काश्त की फसल को नष्ट–भ्रष्ट करवाये, ना ही भूमि विवादग्रस्त पर अवैध रुप से कब्जा कर किसी दीगर व्यक्ति को बैचान करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में खड्डे, नींव आदि खोदे। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन आदि के जरिये करवायें। यदि प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1203, 1204, 1207, 1208 व 1191 की दक्षिणी सीमा की सींव डोल में तोड फोड कर भूमि विवादग्रस्त को अपनी भूमि में नाजायज रुप से मिला लेंगे व विवादग्रस्त भूमि पर अवैध रुप से निर्माण कार्य कर दीगर लोगों को बैचान कर कब्जा करवा देंगे तथा वादी की काश्त की हुई फसल को अपने पशुओ को जबरिया प्रवेश करवा कर नष्ट–भ्रष्ट करवा देंगे जिससे वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भूविष्य में रुपयों में किये जाना कतई सम्भव नहीं होगा तथा इससे वाद बहुल्यता भी बढेगी।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 व 13 ता 18 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम बुनकर ने अपना वकालतनामा पेश किया। जवाब हेतु समय चाहा गया। प्रकरण में वकील प्रतिवादी को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जवाब दावा पेश नहीं किया। वकील

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वादी ने वादग्रस्त भूमि कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.06.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 13.07.2018 को पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार से है कि मौके पर चुन्नीलाल पुत्र सेडूराम, महादेव पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट उपस्थित मिले। खसरा नम्बर 1203, 1204, 1207, 1208, 1209 जो कि विवादित बताये कि दक्षिणी सीमा के खातेदार कोई भी उपस्थित नहीं मिला। विवादित खसरा नम्बर 1192 की उत्तरी सीमा के खातेदार चुन्नीलाल वगै0 मौजूद मिले। ख0नं0 927, 1190 गै0मु0 चाह को पुख्ता मानकर विवादित ख0नं0 1203, 1204, 1207, 1208, 1209 की दक्षिणी सीमा व ख0नं0 1192 की उत्तरी सीमा का सीमाज्ञान कराया व निशानात बताये।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का विरोध किया तथा निवेदन किया की वाद पत्र प्रतिवादीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जिसे खारिज किया जावे। वादी की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाता। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण सींव डोल से छेडछाड का स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। वादी विवादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवाने का हक व अधिकार है। वादी द्वारा अपने पड़ौसी खातेदार के विरुद्ध वाद पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा गया है। वादी व प्रतिवादी आपस में सहखातेदार नहीं हैं। न्यायालय अभिमत में उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्षकारान अपनी–अपनी खातेदारी भूमि में रहते हुए काश्त करते हुए उपयोग उपभोग करते रहेंगे तथा एक–दूसरे की भूमि में दखलंदाजी नहीं करेंगे। वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–37/258/15
उनवान– चुन्नीलाल बनाम महेश
निर्णय दिनांक– 27.09.2019

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–37/258/2015

उनवान

चुन्नीलाल पुत्र श्री सेडूराम जाति जाट, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं निवासी जिला जयपुर, राजस्थान।

बनाम

1. महेश पुत्र नारायण
2. कैलाशचन्द पुत्र नारायणलाल
3. प्रभुदयाल पुत्र नारायणलाल
4. प्रहलाद पुत्र नारायणलाल
5. गणपत दत्तक पुत्र गणेश
6. महादेव पुत्र झूंथाराम
7. गुटा पुत्र नानगा
   समस्त व्यस्क जाति बलाई, निवासी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. बालू पुत्र नाथू
9. लाला पुत्र नाथू
10. भैरुराम पुत्र मुरलीधर
11. रामू पुत्र भूरा
12. कज्या पुत्र पेमा
13. रोशनलाल पुत्र रुडा
14. कानाराम पुत्र नन्दा
15. मुकेश पुत्र नन्दा
16. हरसहाय दत्तक पुत्र रामनाथ
    समस्त व्यस्क जाति बलाई, निवासी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी द्वारा अपने पड़ौसी खातेदार के विरुद्ध वाद पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा गया है। वादी व प्रतिवादी आपस में सहखातेदार नहीं हैं। न्यायालय अभिमत में उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्षकारान अपनी–अपनी खातेदारी भूमि में रहते हुए काश्त करते हुए

सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–37/258/15
उनवान– चुन्नीलाल बनाम महेश
निर्णय दिनांक– 27.09.2019

उपयोग उपभोग करते रहेंगे तथा एक–दूसरे की भूमि में दखलंदाजी नहीं करेंगे। वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

निजी ....x....मबलिक .....x..... बाबत ....x....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह x... ....x..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ...x... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.09.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा..........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.28 14:48:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: